Registration ID :-	CGRFT140000122
Application Date :-	12/14/2025 10:24:15 AM
BP Number :-	1008613109
Consumer Type :-	LT Consumer
Consumer Name :-	PREM CHAND VINOD KUMAR . AGRAWAL
Mobile No :-	8251001270 8251001270
Offcie Name :-	Rajnandgaon East zone
Arrears :-	-179135.57
Apply to Office :-	Region :- RANJNANDGAON REGION
Grievance Type :-	Other
Grievance Sub Type :-	Other Please Specify
Grievance Details:-	
Bill :-	

Premchand Vinod Kumar

GSTIN – 22AGCPA3955E2Z0 Nandal Mohara Road, Rajnandgaon (C.G.) Contact – 8251001270

Date - 21/11/25

To

RAO CSPDCL

Kailash Nagar

Rajnandgaon

Subject – claim of Interest on Security Deposit 1008613109 as per Chhattisgarh State Electricity Supply Code 2011

Sir

We Premchand Vinod Kumar applied for disconnection on April 2025 and the connection was disconnected in the same month; Bill of May 2025 was not generated. Since the bill has not been generated of that month, we have not received the interest on deposit of Security deposit for the year FY 2024-25 and also interest from April 2025 to date of refund of deposit i.e. 19/11/2025. I request you to kindly issue us a cheque of interest on deposit as per the prevailing rate of interest of CSPDCL from April 2024 to 19 November 2025 on the Security deposit amount Rs. 1,90,000.

Kindly do the needful as early as possible.

वास्ते, प्रेमचंद विनोद कुमार

Regards Vinod

प्रोप्राईटर

Premchand Vinod Kumar

Attached

1. Disconnection report
2. Last Electricity bill for the month of April 2025
3. Pan card for deduction of TDS if any as per IT Act
4. Copy of cheque received for refund of SD
5. Copy of our cheque (Bank Details).

Acc

Rev.

24/11

Off. Ass. Eng. East Zone RJN
CSPDCL RJN
R.No.
Date 21-11-25

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, (रायपुर शहर)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

कमांक/विउशिनिफोरा/सामा./2026/374 रायपुर, दिनांक 5 JAN 2026

प्रति,

10
12 JAN 2026

अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव
कार्या0 कार्यपालक निदेशक (राजनांदगांव क्षेत्र),
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., पारीनाला, राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :–आवेदक Shri Premchand Vinod Kumar, Nandai Mohara Road, Rajnandgaon के संबंध में ।

संदर्भ :– आवेदक की शिकायत पत्र फोरम में प्राप्ति दिनांक 05.01.2026.

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक Shri Premchand Vinod Kumar, Nandai Mohara Road, Rajnandgaon (C.G.) के द्वारा शिकायत पत्र रायपुर फोरम में प्रेषित किया गया है । चूँकि उक्त शिकायत आपके क्षेत्र के अंतर्गत है ।

अतः मूल शिकायत आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नः– मूल शिकायत पत्र।

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर

प्रतिलिपिः– Shri Premchand Vinod Kumar, Nandai Mohara Road, Rajnandgaon को सूचनार्थ, कृपया आवेदक राजनांदगांव फोरम में संपर्क करें ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.) 491441

क्रमाक 13-01/वि.उ.शि.नि.फो.राजनांदगांव /21 राजनांदगॉव दिनॉक : 13 /01/2026

प्रति,

कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव।

विषय : उपभोक्ता श्री प्रेमचंद विनोद कुमार नंदई मोहारा रोड राजनांदगांव बी.पी.क्रमांक 1008613109 को सुरक्षा निधि पर ब्याज नहीं प्राप्त होने की शिकायत।

संदर्भ : अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (रायपुर शहर) का पत्र क्रमांक विउशिनिफोरा/सामा./2026/374 दिनांक 05.01.2026.

'-0-'

उपरोक्त विषयांतर्गत अवगत हो कि विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायत के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव क्षेत्र की स्थापना की गयी है। अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर के पत्र क्रमांक 374 दिनांक 05.01.2026 द्वारा आपके संभाग से संबंधित शिकायत पत्र इस फोरम में प्रेषित की गई है। संबंधित शिकायत पत्र संलग्न किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता श्री प्रेमचंद विनोद कुमार नंदई मोहारा रोड राजनांदगांव बी.पी.क्रमांक 1008613109 को विद्युत कंपनी द्वारा दी गई सुरक्षा निधि रू./1,79,136/- दिनांक 19.11.2025 को प्राप्त हुई। उपभोक्ता द्वारा उक्त प्राप्त राशि में सुरक्षा निधि राशि जमा होने से लेकर प्राप्त होने तक के ब्याज की मांग की है। इसं संबंध में शिकायत को 03 दिवस के भीतर निराकरण कर उपभोक्ता को सूचित करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को लिखित में अवगत करावें।

संलग्न : 1 नग शिकायत एवं दस्तावेज।

(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव

Olc Pwia

दिनांक - 14/2/26

प्रति

अध्यक्ष

विधुत उपभोक्ता फोरम

क्षेत्रीय प्रशाशनिक भवन

राजनांदगाव

विषय - सुरक्षा निधि पर ब्याज प्राप्त नहीं होने की शियाकत।

सन्दर्भ - विधुत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर का लेटर क्रमांक 374 दिनांक 05 / 01 / 2026

विद्युत कनेक्शन क्रमांक - 1008613109

महोदय

निवेदन हैं की हमारे द्वारे रायपुर फोरम में पत्र भेजा गया था जिसके माध्यम से अवगत कराया गया था की हमको हमारे सुरक्षा निधि पर वर्ष 2024 -25 पर ब्याज की राशि प्रदान नहीं की गयी हैं। इस पत्र को रायपुर फोरम द्वारा आपको प्रेषित किया काया था।

किन्तु आज दिनांक तक हमे ब्याज की राशि प्रदान नहीं की गयी हैं, हमें जल्द से जल्द ब्याज की राशि दी जाये अन्यथा हमारे द्वारा ब्याज की राशि 38000 रूपए एवं मानसिक क्लैश की राशि 20000 रूपए की वसूली हेतु उचित न्यायालीन कार्यवाही की जाएगी , जिसके सम्पूर्ण हर्जे एवं खर्चे के लिए आप पूर्ण जबाबदार होंगे।

वास्ते, प्रेमचंद विनोद कुमार

प्रोप्राईटर

संग्लन प्रपत्र

1) रायपुर फोरम द्वारा आपको प्रेषित पत्र

15/02/2026

कार्यालयीन टीप

विषय :– सर्विस कमांक 1008613109 के सुरक्षा निधि राशि पर वित्तीय वर्ष 2024–2025का ब्याज दिये जाने के संबंध में।

----00-----

1. पूर्व जोन अंतर्गत श्री प्रेमचंद विनोद कुमार अग्रवाल ,नंदई,औद्योगिक विद्युत कनेक्शन,जिसका सर्विस कमांक 1008613109 हैं।
2. उपभोक्ता के आवेदन पर उक्त सर्विस कमांक को दिनांक 06.05.2025 को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया ।
3. स्थायी विच्छेदन के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा उक्त सर्विस कमांक के सुरक्षा निधि राशि वापसी हेतु आवेदन किया गया।
4. उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 19.11.2025 आवेदक को सूरक्षा निधि वापसी राशि रूपये 179136/– का चेक दिया गया ।
5. तत्पश्चात् आवेदक द्वारा पोर्टल मे दिनांक 24.11.2025 को उपरोक्त सर्विस कमांक के सुरक्षानिधि राशि पर वित्तीय वर्ष 2024–2025 में ब्याज न दिये जाने संबधी शिकायत दर्ज की गई है।
6. संबधित सर्विस कमांक का सैप सिस्टम मे अवलोकन करने पर पाया गया हैं कि वित्तीय वर्ष 2024–2025 ने सुरक्षा निधि राशि पर ब्याज नही दिया हैं।
7. अतः कपनी के नियमानुसार सर्विस कमांक 1008613109 के सुरक्षा निधि राशि पर वित्तीय वर्ष 2024–2025 का ब्याज दिये जाने हेतु कार्यालयीन टीप आपकी ओर सादर प्रेषित हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

E.E. (O&M) D... CSPDCL, RAJNANDGAON U.O. Note 5837 Date 09/12/25

सहायक अभियंता (पूर्व जोन)
छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0,राजनांदगावं

कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग
छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0,राजनांदगावं

आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय प्रेषित

अधीक्षण अभियंता (वृत्त)
छ. स्टे. पॉ. डि. कं. लिमि. राजनांदगांव

EE (O&M) DN. CSPDCL RAJNANDGAON 7425 05/12/25

Rev.

जावक क्र. 1276 दिनांक 5-12-2025

09.12

विषय :— सर्विस कमांक 1008613109 के सुरक्षा निधि राशि पर वर्ष 2024—25 का ब्याज दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ :— कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग राजनांदगांव का कार्यालयीन टीप कमांक 6610 दिनॉक 09.01.2026.

***

16. पैरा 14/एन के अनुसार दिनॉक 06.05.2025 को स्थायी रूप से विच्छेदित औद्योगिक कनेक्शन बी0पी0 कमांक 1008613109 का वित्तीय वर्ष 2024—25 में जमा सुरक्षानिधि राशि पर ब्याज दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपालक निदेशक (राजस्व) रायपुर को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

13/01

कार्यपालन अभियंता (कार्या0)

अधीक्षण अभियंता (वृत्त) राजनांदगांव

13.01.2025

SE (CIRCLE) CSPDCL RJN.
U.O.No. 5772
DATE 13/01/2026

कार्यपालक निदेशक (राज0क्षेत्र) राजनांदगांव

16/1/26

E.D.(RJN-R)CSPDCL RJN
UO No. (D) 489
Date 16 JAN 2026

कार्यपालक निदेशक (राजस्व) रायपुर

E.D.(RJN-R)CSPDCL RJN
UO No. (R) 489
Date 16 JAN 2026

टिप्पणी

टिप्पणी

कार्यालयीन टीप

विषय :– सर्विस क्रमांक 1008613109 के सुरक्षा निधि राशि पर वर्ष 2024–25 का ब्याज दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– अधीक्षण अभियंता (वृत्त) राजनांदगांव का कार्यालयीन टीप क्रमांक 5284 दिनांक 12.12.2025 ।

13. पैरा 9/एन व पैरा 11/एन अनुसार त्रुटियों का निराकरण करते हुए अपने स्पष्ट अभिमत के साथ पुनः प्रेषित किये जाने हेतु प्रकरण मूलतः सहायक अभियंता (पूर्व जोन) राजनांदगांव को वापस किया जाना प्रस्तावित है।

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
राजनांदगांव

सहायक अभियंता (पूर्व जोन) राज०

Off. Ass. Eng. ... CSPDCL RJN
S.No. ...
Date 24-12-25

E.E. (O&M) DN.
CSPDCL, RAJNANDGAON
U.O. Note 6220
Date 19/12/25

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / विउशिनिफोराज. / 2026 / 26 राजनांदगांव दिनांक 18 MAR 2026

प्रति,

01. श्री प्रेमचंद विनोद कुमार,
बी.पी. क्रमांक 1008613109
निवासी नंदई, मोहरा रोड़ राजनांदगांव
तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

02. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– **सुरक्षानिधि पर ब्याज प्राप्त नहीं होने की शिकायत ।**

---00---

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

विषयः– सुरक्षानिधि पर ब्याज प्राप्त नहीं होने की शिकायत ।

प्रकरण क्रमांक/15/राजनांदगांव/2026

श्री प्रेमचंद विनोद कुमार, ...आवेदक

बी.पी. क्रमांक 1008613109

निवासी नंदई, मोहरा रोड़ राजनांदगांव

तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., राजनांदगांव (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 17/03/2026 को घोषित)

1. आवेदक श्री प्रेमचंद विनोद कुमार द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 14.02.2026 यह है कि निवदेन है कि हमारे द्वारा रायपुर फोरम में पत्र भेजा गया था जिसके माध्यम से अवगत कराया गया था कि हमको हमारे सुरक्षा निधि पर वर्ष 2024–25 पर ब्याज की राशि प्रदान नहीं की गयी है । इस पत्र को रायपुर फोरम द्वारा आपको प्रेषित किया गया था ।

किन्तु आज दिनांक तक हमें ब्याज की राशि प्रदान नहीं की गयी है हमें जल्द से जल्द ब्याज की राशि दी जाये अन्यथा हमारे द्वारा ब्याज की राशि 38000 रूपए एवं मानसिक क्लैश की राशि 20000 रूपए की वसूली हेतु उचित न्यायालीन कार्यवाही की जाएगी, जिसके सम्पूर्ण हर्जे एवं खर्चे के लिए आप पूर्ण जवाबदार होंगे ।

2. यह कि अनावेदक प्रतिनिधि सहायक अभियंता पूर्व जोन शहर, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., राजनांदगांव ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 1795 दिनांक 24.02.2026 को सूचित किया कि :–

(i) आवेदक को सर्विस क्रमांक 1008613109 के दिनांक 06.05.2025 को स्थायी विच्छेदन के पश्चात् दिनांक 19.11.2025 का ब्याज सहित राशि 179136/– प्राप्त हुआ था ।

(ii) आवेदक को संबंधित सर्विस क्रमांक में जमा सुरक्षानिधि राशि पर वित्तीय वर्ष में क्रमांक 2021–2022 में रूपये 1969/– 2022–2023 में रूपये 10915/–

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

एवं 2023–2024 में रूपये 12825/– कुल 25709/– राशि का ब्याज दिया गया है । कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, छ.स्ट.पॉ.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव द्वारा पत्र क्रमांक 6711 दिनांक 15.01.2026 के माध्यम से जानकारी दी गई कि उपभोक्ता द्वारा उक्त प्राप्त राशि में सुरक्षानिधि राशि जमा होने से लेकर प्राप्त होने तक के ब्याज की मांग की गई जिसके तारतम्य में उपभोक्ता को सुरक्षानिधि राशि पर ब्याज दिये जाने हेतु प्रकरण संभागीय कार्यालय द्वारा यू.ओ. नोट क्रमांक 6610 दिनांक 09.01.2026 द्वारा नोट शीट बनाकर उच्च कार्यालय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है ।

(iii) आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत् संबंधित सर्विस क्रमांक में जमा सुरक्षानिधि पर प्राप्त ब्याज की जानकारी मांगी गई थी जिसके तारतम्य में कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, छ.स्ट.पॉ.डि.कं.लिमि, राजनांदगांव द्वारा पत्र क्रमांक 7361 दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से श्री मुकेश कुमार जनसूचना अधिकारी सह. अधीक्षण अभियंता कार्या. कार्यपालक निदेशक (संचा/संधा), छ.स्ट. पॉ.डि.कं.लिमि., रायपुर को जानकारी प्रेषित किया की गई ।

(iv) दिनांक 19.11.2025 को सुरक्षानिधि राशि रूपये 179136/– प्राप्त होने के पश्चात् आवेदक द्वारा असंतुष्ट होकर उक्त सुरक्षानिधि राशि जमा होने से लेकर प्राप्त होने तक की अवधि का ब्याज न मिलने की संबंधी शिकायत दिनांक 12.01.2026 को रायपुर फोरम से आपको प्राप्त हुआ है । आपके द्वारा पत्र क्रमांक 21 दिनांक 13.01.2026 के द्वारा कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, छ.स्ट.पॉ.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव को शिकायत के निराकरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया है जिसे प्रति उत्तर में कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, छ.स्ट.पॉ.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव द्वारा पत्र क्रमांक 6711 दिनांक 15.01.2026 के माध्यम से जानकारी दी गई कि उपभोक्ता द्वारा उक्त प्राप्त राशि में सुरक्षानिधि राशि जमा होने से लेकर प्राप्त होने तक के ब्याज की मांग की गई जिसके तारतम्य में उपभोक्ता को सुरक्षानिधि राशि पर ब्याज दिये जाने हेतु प्रकरण संभागीय कार्यालय द्वारा यू.ओ. नोट क्रमांक 6610 दिनांक 09.01.2026 द्वारा नोटशीट बनाकर उच्च कार्यालय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है ।

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 24.02.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसाार है :–

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

3. यह कि आवेदक प्रेमचंद अग्रवाल के नाम पर मोहारा रोड, नंदई राजनांदगांव स्थित आवेदक के परिसर में औद्योगिक श्रेणी का, 74 कि.वा. भार का विद्युत कनेक्शन बी.पी.कमांक 1008613109 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया था । आवेदक के अनुसार माह अप्रेल 2025 में प्रस्तुत, अपने विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित किए जाने के उसके आवेदन पर कार्यवाही करते हुए उत्तरवादी द्वारा दिनांक 06.05.2025 को उसका विद्युत कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया । विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित करने के उपरांत उत्तरवादी द्वारा दिनांक 19.11.2025 को उसकी जमा सुरक्षा राशि उसके खाते में स्थानांतरित कर दी गयी लेकिन वर्ष 2024–25 के लिए दिया जाने वाला जमा सुरक्षा निधि पर ब्याज एवं उसके पश्चात जमा सुरक्षा राशि वापस किए जाने तक की अवधि के लिए भी ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया है जो कि विभाग के नियमानुसार प्रदान किया जाना था । अपनी इस शिकायत के निराकरण के लिए आवेदक द्वारा उत्तरवादी के "आनलाईन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल" के टियर –1 में शिकायत (CGRFT140000113) दिनांक 24.11.2025 दर्ज करायी गयी थी लेकिन उत्तरवादी द्वारा उसकी समस्या का निराकरण किए बगैर ही शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया गया जिसके बाद उसके द्वारा आनलाईन शिकायत पोर्टल के टियर – 1 में पुनः प्रकरण (CGRFT140000122) दिनांक 14.12.2025 प्रस्तुत किया गया था जो आज दिनांक तक लबित है ।

4. यह कि अपने स्थायी रूप से विच्छेदित विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा निधि की राशि पर वर्ष 2024–25 के लिए एवं इसके पश्चात जमा सुरक्षा राशि की वापसी तक की अवधि के लिए ब्याज राशि प्रदान करने का निवेदन किए जाने के बाद भी उक्त अवधि की ब्याज राशि प्रदान न किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर एवं उक्त अवधि के लिए जमा सुरक्षा राशि पर ब्याज, 1 प्रतिशत प्रतिमाह अतिरिक्त ब्याज सहित अविलंब प्रदान किए जाने एवं जमा सुरक्षा निधि विलंब से वापस किए जाने के आधार पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

5. यह कि अनावेदक द्वारा पत्र कमांक 1795 दिनांक 24.02.2026 के माध्यम से प्रस्तुत जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत, अपने

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित करने के आवेदन के आधार पर दिनांक 06.05.2025 को आवेदक के विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित करते हुए दिनांक 19.11.2025 को ब्याज सहित कुल राशि रू. 179136.00 प्रदान कर दी गयी है । उत्तरवादी द्वारा आवेदक को वर्षवार उसकी जमा सुरक्षा राशि पर दी गयी ब्याज राशि का उल्लेख करते हुए बताया गया कि आवेदक द्वारा वर्ष 2024—25 के लिए एवं इसके पश्चात अपनी जमा सुरक्षा राशि की वापसी तक की अवधि के लिए, जमा सुरक्षा निधि पर ब्याज प्रदान किए जाने की मांग संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर तद्नुसार प्रकरण बनाकर स्वीकृति हेतु उच्च कार्यालय प्रेषित किया गया है ।

उत्तरवादी के जवाबदावा में आवेदक को ब्याज सहित राशि प्रदान किया जाना लेख किया गया है जबकि कार्यपालन अभियंता द्वारा अपने उच्च कार्यालय को प्रेषित नोटशीट में यह स्वीकार किया गया है कि वर्ष 2024—25 के लिए आवेदक को उसकी जमा सुरक्षा निधि पर ब्याज नहीं दिया गया है ।

6. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि —

अ. क्या उत्तरवादी द्वारा वर्ष 2024—25 की अवधि में आवेदक को उसकी जमा सुरक्षा निधि पर ब्याज दिए जाने में विलंब किया गया है ।

ब. यदि हां तो क्या आवेदक, उत्तरवादी से उसके द्वारा किए गए विलंब के लिए ब्याज राशि पर ब्याज प्राप्त करने का पात्र है ।

स. क्या आवेदक की जमा सुरक्षा निधि वापस किए जाने में उत्तरवादी द्वारा छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024 एवं सप्लाई कोड के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है एवं तद्नुसार आवेदक को प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने का उत्तरदायी है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

7. यह कि फोरम के समक्ष सुनवाई दिनांक 24.02.2026 को उपस्थित आवेदक प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि माह अप्रेल 2025 में अपने औद्योगिक विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने का आवेदन प्रस्तुत करने पर उत्तरवादी द्वारा उसका विद्युत कनेक्शन दिनांक 06.05.2025 को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया एवं दिनांक 19.11.2025 को उसकी मूल जमा सुरक्षा राशि को भी वापस कर दिया गया लेकिन विभागीय नियमों के अनुसार उपभोक्ता को उसकी जमा सुरक्षा निधि पर प्रदान की जाने वाली ब्याज

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
राजनांदगांव

राशि से उसको वंचित रखा गया । उत्तरवादी द्वारा न सिर्फ वर्ष 2024–25 के लिए उसकी जमा सुरक्षा राशि पर ब्याज नहीं दिया गया बल्कि वर्ष 2025–26 में, जमा सुरक्षा राशि की वापसी तिथि तक की अवधि के लिए भी जमा राशि पर कोई ब्याज प्रदान नहीं किया गया । इस संबंध में विभागीय शिकायत निवारण पोर्टल में शिकायत करने पर शिकायत का निराकरण किए बगैर ही शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया गया । उत्तरवादी द्वारा जमा सुरक्षा राशि पर ब्याज प्रदान नहीं किए जाने की संपूर्ण अवधि के लिए अविलंब ब्याज प्रदान किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने का निवेदन फोरम के समक्ष आवेदक द्वारा किया गया ।

8. यह कि फोरम के समक्ष उपस्थित उत्तरवादी द्वारा इस संबंध में बताया गया कि आवेदक द्वारा वर्ष 2024–25 एवं इसके पश्चात जमा सुरक्षा राशि की वापसी तिथि तक सुरक्षा निधि पर ब्याज प्रदान किए जाने का आवेदन प्राप्त होने के बाद आवेदक को उक्त अवधि का ब्याज प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण तैयार कर आवश्यक स्वीकृति हेतु उच्च कार्यालय प्रेषित किया गया है । उच्च कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होते ही आवेदक को वांछित ब्याज राशि प्रदान कर दी जाएगी ।

वर्ष 2024–25 के लिए आवेदक की जमा सुरक्षा राशि पर सैप सिस्टम से ब्याज की गणना नहीं होने के संबंध मे पूछे जाने पर उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि विभागीय नियमानुसार सैप सिस्टम द्वारा उपभोक्ताओं की जमा सुरक्षा राशि पर ब्याज की गणना प्रतिवर्ष माह अप्रेल की बिलिंग मे की जाती है एवं ब्याज राशि का समायोजन उपभोक्ताओं के माह मई के देयक में किया जाता है । चूंकि आवेदक का कनेक्शन माह अप्रेल की बिलिंग के पूर्व ही स्थायी रूप से विच्छेदित हो चुका था, अतः उसकी जमा सुरक्षा निधि पर ब्याज की गणना सैप सिस्टम द्वारा स्वतः नहीं की जा सकी । आवेदक की जमा सुरक्षा निधि पर ब्याज नहीं दिए जाने का तथ्य संज्ञान में आने के बाद आवेदक को उक्त अवधि का ब्याज प्रदान किए जाने का प्रकरण तैयार का उच्च कार्यालय प्रेषित किया गया है ।

अवगत हो कि सप्लाई कोड (द्वितीय संशोधन 2018) के पश्चात कंडिका 6.17 यथा "The amount of interest shall be calculated in April every year for the preceding year. The interest amount so calculated shall be paid by way of adjustment in full against the monthly

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

electricity bill for the month of May of that year and if so required in the bills for subsequent months. "

9. यह कि उत्तरवादी के कथनानुसार आवेदक के विद्युत कनेक्शन के स्थायी रूप से विच्छेदित एवं अक्रियाशील होने के आधार माह अप्रेल 2025 की बिलिंग में सैप सिस्टम द्वारा आवेदक की जमा सुरक्षा राशि पर ब्याज की गणना नहीं की गयी जो कि सैप सिस्टम की ब्याज गणना प्रक्रिया के अनुसार है ।

अवगत हो कि सप्लाई कोड की कंडिका 6.17 के अनुसार उत्तरवादी द्वारा प्रत्येक वर्ष माह अप्रेल में उपभोक्ताओं की जमा सुरक्षा निधि पर ब्याज की गणना की जानी है । इस कंडिका के अनुसार उत्तरवादी, आवेदक को उसकी जमा सुरक्षा निधि पर प्रत्येक वर्ष माह अप्रेल में ब्याज की गणना करते हुए प्रदान करने का जिम्मेदार है चाहे यह गणना सैप सिस्टम के द्वारा की जाए अथवा मैनुअल तरीके से । सुरक्षा निधि पर ब्याज की गणना की प्रोग्रामिंग में अंतर्निहित कमियों के आधार पर उत्तरवादी, आवेदक को उसकी सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज नियत तिथि को प्रदान करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है ।

उत्तरवादी द्वारा उपभोक्ता की जमा सुरक्षा निधि पर ब्याज दिए जाने हेतु ऐसी व्यवस्था बनायी जानी चाहिए जिसके माध्यम से किसी वित्तीय वर्ष में स्थायी विच्छेदित होने वाले विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा राशि पर सैप सिस्टम व्दारा उस अवधि के ब्याज की गणना स्वतः की जा सके जिस अवधि में उक्त विद्युत कनेक्शन क्रियाशील रहा हो ।

10. यह कि आवेदक द्वारा अपने लिखित जवाब दिनांक 24.02.2026 में सप्लाई कोड के अध्याय 06 का संदर्भ देते हुए अपनी जमा सुरक्षा राशि पर निर्धारित समय में ब्याज प्रदान न किए जाने एवं उसके पश्चात भी ब्याज प्रदान करने में उत्तरवादी द्वारा किए जा रहे विलंब के लिए देय ब्याज राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह अतिरिक्त ब्याज दिए जाने की मांग की गयी है ।

सप्लाई कोड की कंडिका 6.15 यथा "The licensee will be liable to pay simple interest @ 1% per month or part thereof on the amount of refund outstanding from due date of refund." के अनुसार उत्तरवादी द्वारा आवेदक की जमा सुरक्षा राशि पर वर्ष 2024–25 के लिए ब्याज राशि की गणना माह अप्रेल 2025 में करते हुए माह मई 2025 के देयक में ब्याज राशि का समायोजन किया जाना था जो कि नहीं किया गया । सप्लाई कोड की कंडिका 6.17 के अनुसार आवेदक को उसकी जमा सुरक्षा निधि पर ब्याज दिए जाने की

नियत तिथि दिनांक 31.05.2025 मानी जा सकती है जिसका उत्तरवादी द्वारा उल्लंघन किया जाना दर्शित होता है । इस तिथि के बाद से आवेदक की जमा सुरक्षा निधि पर ब्याज दिए जाने की तिथि तक की अवधि को उत्तरवादी द्वारा ब्याज दिए जाने में किया गया विलंब माना जाना उचित होगा ।

11. यह कि आवेदक द्वारा अपनी जमा सुरक्षा राशि पर वर्ष 2025–26 के लिए, सुरक्षा निधि वापसी तिथि तक की अवधि के लिए भी ब्याज प्रदान किए जाने की मांग की गयी है । इस संबंध में अवगत हो कि सप्लाई कोड (द्वितीय संशोधन 2018) के पश्चात कंडिका 6.17 के अंश यथा " The licensee shall pay the interest on security deposit from the date of commencement of agreement and shall be payable till the agreement is terminated." के अनुसार आवेदक के विद्युत कनेक्शन का अनुबंध लागू होने से लेकर अनुबंध समाप्त होने तक की अवधि के लिए ही जमा सुरक्षा निधि पर ब्याज देय है ।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक के विद्युत कनेक्शन का स्थायी विच्छेदन दिनांक 06.05.2025 को किया जाना स्पष्ट है । सप्लाई कोड की कंडिका 7.38 के अंश यथा "The agreement shall be terminated on the last day of the billing month and licensee shall raise the final bill accordingly." के अनुसार कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित करने के आवेदक के आवेदन के एक माह के पश्चात निर्धारित बिलिंग माह के अंतिम दिन अनुबंध समाप्त होना निर्धारित है । प्रस्तुत प्रकरण में उत्तरवादी द्वारा आवेदक को अंतिम देयक माह अप्रेल 2025 का प्रदान किया गया है अतः दिनांक 30.04.2025 को आवेदक के अनुबंध की समाप्ति तिथि माना जाना उचित होगा । सप्लाई कोड की कंडिका 6.17 के अनुसार आवेदक को उसकी जमा सुरक्षा निधि पर माह अप्रेल 2025 के बाद की अवधि के लिए ब्याज नियमानुसार देय नहीं है ।

12. यह कि आवेदक के विद्युत कनेक्शन के अनुबंध की समाप्ति तिथि दिनांक 30.04.2025 के आधार पर वर्ष 2025–26 के लिए मात्र एक माह (अप्रेल) की अवधि के लिए आवेदक अपनी जमा सुरक्षा राशि पर उत्तरवादी से नियमानुसार ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी दर्शित होता है । यद्यपि इस माह की ब्याज राशि की वास्तविक नियत देय तिथि अप्रेल 2026 है अतः इस माह की गणना की गयी ब्याज राशि प्रदान किए जाने में उत्तरवादी द्वारा किसी प्रकार का विलंब नहीं किया जाना मानते हुए उत्तरवादी को माह अप्रेल 2025 के लिए गणना की गयी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

ब्याज राशि पर विलंब राशि (1प्रतिशत ब्याज) आवेदक को प्रदान किए जाने की जिम्मेदारी से मुक्त रखा जाना न्यायसंगत होगा ।

13. यह कि आवेदक द्वारा दिनांक 24.02.2026 को प्रस्तुत प्रत्र के माध्यम से अपनी जमा सुरक्षा निधि को उत्तरवादी द्वारा अत्यंत विलंब से वापस किए जाने के आधार पर विलंब अवधि के लिए नियमों में निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने की मांग की गयीं है. । आवेदक के अनुसार उसके द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन के स्थायी रूप से विच्छेदित होने के पश्चात दिनांक 29.05.2025 को अपने कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा निधि को वापस किए जाने हेतु उत्तरवादी के कार्यालय में आवेदन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया गया था जिस पर कार्यवाही करते हुए उत्तरवादी द्वारा दिनांक 19.11.2025 को उसकी जमा सुरक्षा राशि वापस की गयी है । इस प्रकार उत्तरवादी द्वारा इस कार्य हेतु 60 दिनों की निर्धारित अवधि का उल्लंघन किया गया है । उत्तरवादी द्वारा किए गए इस विलंब के लिए आवेदक, उत्तरवादी से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त किए जाने का अधिकारी है ।

14. यह कि छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024 में दर्ज "अनुसूची 1 एवं 2 का अनुलग्नक" के अनुसार –

सेवा का स्वरूप	निष्पादन के मानक अंतर्गत सेवा प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा	उल्लंघन की स्थिति में प्रभावित उपभोक्ता/उपभोक्ताओं को देय प्रतिकर
(10) उपभोक्ता द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत डिपाजिट की वापसी	60 दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु 500/–

अपनी जमा सुरक्षा राशि के लिए आवेदक द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद आगामी 60 दिवस की अवधि (कार्य दिवस) में आवेदक को उसकी जमा सुरक्षा निधि, उत्तरवादी द्वारा वापस किया जाना था । प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक एवं उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से आवेदक द्वारा अपनी सुरक्षा निधि की वापसी के लिए आवेदन एवं अन्य औपचारिकताओं यथा बैंक का

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

निरस्त चेक एवं घोषणा पत्र का दिनांक 29.05.2025 को जमा किया जाना स्पष्ट होता है । आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक 29.05.2025 प्रस्तुत किए जाने के बाद आगामी 60 कार्य दिवस में अर्थात दिनांक 27.08.2025 तक उत्तरवादी द्वारा आवेदक को उसकी जमा सुरक्षा निधि वापस की जानी थी जो कि नहीं की गयी । उत्तरवादी द्वारा आवेदक की जमा सुरक्षा निधि दिनांक 19.11.2025 को अर्थात 84 दिवस के विलंब के साथ वापस की गयी है ।दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा दिनांक 24.08.2025 को उत्तरवादी के "आनलाईन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल" के टियर –1 में शिकायत (CGRFT140000033) दर्ज कराए जाने के बाद ही सहायक यंत्री द्वारा दिनांक 01.09.2025 को रिफंड वाउचर कार्यपालन यंत्री को अग्रेषित किया गया अर्थात आवेदक द्वारा आनलाईन पोर्टल में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ही उसकी जमा सुरक्षा निधि वापस किए जाने की कार्यवाही उत्तरवादी द्वारा आरंभ की गयी । फोरम के समक्ष उत्तरवादी द्वारा स्वयं द्वारा कारित इस विलंब के लिए कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः फोरम के मतानुसार आवेदक, उत्तरवादी द्वारा उसकी जमा सुरक्षा राशि की वापसी में उत्तरवादी द्वारा किए गए विलंब के लिए उससे प्रतिकर राशि प्राप्त किए जाने का पात्र है ।

15. यह कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक 24.02.2026 में उत्तरवादी द्वारा की गयी कार्यवाही से उसे पहुंची मानसिक एवं शारीरिक क्षति के लिए रू. 20000/– की क्षतिपूर्ति एवं रू. 2000/– की अन्य क्षतिपूर्ति की मांग की गयी है । अवगत हो कि छत्तीसगढ राज्य विद्युतं नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2023 की कंडिका 8.27 यथा –"After the completion of the proceedings,the Forum shall issue an order to the distribution licensee directing it to do one or more of the following in a time bound manner,namely-

(iii) to pay such compensation, to the person affected, as determined by the Commission,in case the licensee fails to meet the Standard of Performance as specified by the Commission. "

के अनुसार फोरम, माननीय नियामक आयोग द्वारा तय की गयी क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त स्वयं के विवेक से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि अथवा मुआवजा दिए जाने का आदेश जारी करने हेतु अधिकृत नहीं है ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
राजनांदगांव

16. यह कि आवदेक द्वारा पूर्व में फोरम में प्रस्तुत अपने आवेदन दिनांक 24.02.2026 के माध्यम से चाही गई अनुतोष क्रमांक 3,4 एवं 5 के संबंध में किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं किये जाने बाबत् अनुरोध पत्र अपने आवेदन क्रमांक निरंक दिनांक 16.03.2026 के माध्यम से इस फोरम में प्रस्तुत किया है। आवदेक द्वारा अपने आवेदन दिनांक 16.03.2026 में लेख किया गया है कि :

I. I wish to state that i no longer desire to pursue the claim for compensation against the Distribution Licensee (CSPDCL) in this matter.

II. In view of the above, I request the Honourable Forum to kindly drop the part proceedings i.e. prayer no 3,4 & 5 of the application submitted and allow the partial withdrawal of the complaint filed under the CERC/CSERC (Redressal of Grievances) Regulation..

III. I further declare that this withdrawal is being made of my own free will and without any external pressure.

17. प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों के विस्तृत विवेचन के आधार पर फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि आवेदक की जमा सुरक्षा निधि पर वर्ष 2024–25 के लिए ब्याज की गणना कर ब्याज प्रदान करते हुए, ब्याज की निर्धारित देय तिथि 31.05.2025 के बाद ब्याज प्रदान करने तक की अवधि के लिए सप्लाई कोड की कंडिका 6.15 के अनुसार 1 प्रतिशत ब्याज राशि प्रतिमाह आवेदक को प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे ।

18. फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि आवेदक को वर्ष 2024–25 के लिए एक माह (अप्रेल 2025) की अवधि का, जमा सुरक्षा निधि पर ब्याज दिया जाना सुनिश्चित करे ।

19. फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि आवेदक को उसकी सुरक्षा जमा राशि को वापसी करने में किए गए विलंब की अवधि के लिए छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024 में दर्ज "अनुसूची 1 एवं 2 का अनुलग्नक की कंडिका 10 के अनुसार प्रतिकर राशि पर आवेदक के आवेदन दिनांक 16.03.2026 पर फोरम द्वारा विचार किये जाने उपरांत किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति राशि–वाद व्यय एवं मानसिक क्षति प्रदाय नहीं किया जाए। एतद् कृत कार्यवाही के उपरांत आदेश का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट 30 दिवस के अंदर फोरम कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

20. आदेश पारित ।

21. प्रकरण निराकृत ।

22. अनावेदक पालन प्रतिवेदन 30 दिवसों के अन्दर देवें ।

23. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
राजनांदगांव